



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246624  
CG-DL-E-16062023-246624

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]  
No. 357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2023/ज्येष्ठ 26, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

सा.का.नि. 444(अ).—(सं. 02/2023)-केंद्रीय सरकार, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकरण (सेवा की शर्तों) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण (सेवा की शर्तों) संशोधन नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- अधिकरण (सेवा की शर्तों) नियम, 2021 में, नियम 5 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) नियम 3 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो यथास्थिति किसी अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण किए हो या धारण कर चुका हो, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।”

[फा. सं. ए-50050/33/2023-सीईएसटीएटी-डीओआर]  
ऋत्विक् पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 15 सितंबर, 2021 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635 (अ) तारीख 15 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2023

**G.S.R. 444(E).**— (No. 02/2023)-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, namely:-

**1 Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Tribunal (Conditions of Service) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, in rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) Notwithstanding anything contained in rule 3, a person holding or has held the post of Chairperson or Member, as the case may be, of any Tribunal shall be eligible for re-appointment.”

[F. No. A-50050/33/2023-CESTAT-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 15th September, 2021 vide notification number G.S.R. 635(E) dated 15th September, 2021.